ऑन लाईन नं. RCMS 2025/153

न्यायालय : अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार आर०ए०एस०

अपील प्रकरण सं० 39/2025

1. श्रीमती रेखा रानी पत्नी श्री विजय पासी जाति पासी आयु 35 वर्ष निवासी 178, सी ब्लॉक, वार्ड नंबर 28/39 श्रीगंगानगर।

प्रार्थीया

बनाम

1. उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर
3. अंजली पत्नी श्री मुकेश चलाना निवासी वार्ड नंबर 18-ई, गुरूनानक चौक, श्रीगंगानगर, राजस्थान

अप्रार्थीगण

उपस्थित :

1. अमित स्वामी, अधिवक्ता अपीलार्थीया
2. विभागीय प्रतिनिधि।
3. रेस्पोंडेन्ट संख्या 03 अंजली स्वयं

अपील विरूद्ध दिनांक 10.09.2025 पत्र क्रमांक 581 श्रीगंगानगर आदेश को निरस्त कर प्रार्थीया को चयन करने के संबंध में।

आदेश

दिनांक : 23.12.2025

अपीलार्थीया द्वारा परस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:-

1. यह कि राजस्थान सरकार उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर के क्रमांक 57871-58286 दिनांक 01.03.2024 विज्ञप्ति संख्या 01/2025 के क्रम में प्रार्थीया ने वार्ड न. 28/39 श्रीगंगानगर के आंगनबाड़ी केन्द्र 28-ए में कार्यकर्ता पद हेतु आवेदन किया था।

2. यह कि प्रार्थीया के साथ ही अन्य अभ्यर्थीया अंजली पत्नी श्री मुकेश चलाना निवासी वार्ड न. 18-ई गुरूनानक चौक श्रीगंगानगर राजस्थान ने भी आवेदन किया था।

3. यह कि अप्रार्थीया श्रीमती अंजली आंगनबाड़ी केन्द्र 29-सी गणगौर नगर में सहायिका के पद पर कार्यरत है, जिस कारण 4 नंबर अंक दिया जाकर वार्ड नंबर 28-ए में कार्यकर्ता पर चयन कर दिया गया जो नियम विरूद्ध तथा बिना किसी जांच, भेदभावपूर्वक गलत चयन किया गया है।

4. यह कि प्रार्थीया वार्ड नं. 28-ए श्रीगंगानगर की स्थायी निवासी है तथा प्रार्थीया ए.एन.एम. डिग्रीधारी है तथा बेरोजगार है।

5. यह कि प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिए बिना चयन समिति ने द्वेष भाव से नियम विरूद्ध राजनैतिक प्रभाव तथा बिना दस्तावेज की जांच तथा अप्रार्थीया संख्या-3 के निवास से संबंधित बिना जाचं किए अप्रार्थीया संख्या 3 का चयन किया गया है, जो निरस्ती योग्य है।

6. यह कि अप्रार्थीया संख्या-3 गणगौर नगर में अपना निवास दिखाकर आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड नंबर 29-सी में सहायिका पद पर चयनित हो गई है तथा वार्ड न. 18-ई

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) * श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

गुरूनानक चौक में निवास करने लगी तथा आंगनबाडी सर्वे रिपोर्ट में इसका नाम है परंतु आंगनबाड़ी केन्द्र 28–ए में जब कार्यकर्ता की विज्ञप्ति जारी हुई तो अपने पुराना निवास का हवाला देते हुए आवेदन कर दिया और विभाग में कार्यरत होने के कारण अपना प्रभाव रखते हुए विधि विरूद्ध तरीके से अपना चयन करवा लिया जो निरस्ती योग्य है।

7. यह कि अपील श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की है जो उचित कोर्ट फीस पर समयावधि में पेश है।

अतः अपील श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि आदेश क्रमांक 581 दिनांक 10.09.2025 को निरस्त कर प्रार्थीया का चयन किये जाने का आदेश दिया जाकर प्रार्थीया को न्याय दिलवाया जावे। श्रीमान जी की कृपा होगी।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

रेस्पोडेंट संख्या–3 ने अपने जवाब में कथन किया कि मैं अंजली चलाना पत्नी श्री मुकेश चलाना निवासी 69–एल ब्लॉक, श्रीगंगानगर के मूल निवासी है। मेरे पति की चार पीढ़ियां इस वार्ड में निवासी है, जिनकी जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र भी है मेरा सहायिका के रूप में कार्यकाल पिछले 07 वर्षो का है। अब मैंने कार्यकर्ता के लिए फार्म भरा तो मेरे नंबर ज्यादा होने के कारण मेरा प्रमोशन कार्यकर्ता के पद पर हो गया था। जिनको नौकरी नहीं मिली उन्होंने द्वेष भावना पूर्वक आपके समक्ष अपील की है। आपसे निवेदन है कि अपील निरस्त करने की कृपा करें हमारे घर का कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है जिसके कारण कुछ समय के लिए हम सारा परिवार मां के साथ किराये पर रहते हैं। कंस्ट्रक्शन कार्य के बिल एवं पेड के सामान किराए पर लाने की रसीदें भी उपलब्ध करवा दी जाएंगी सैंपल रसीद संलग्न है। अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

रेस्पोडेन्ट बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर शहर ने अपना जबाब पत्र कमांक 690 दिनांक 27.10.2025 प्रस्तुत कर अंकित किया कि आ.बा. केन्द्र 28ए/39 पर कार्यकर्ता का रिक्त पद हेतु विज्ञप्ति संख्या–01/2025 जारी कर आवेदन लिए गए थे। आ.बा. केन्द्र 28ए पर कार्यकर्ता हेतु कुल 07 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदन पत्रों में श्रीमती रेखारानी(अपीलकर्ता) का भी आवेदन प्राप्त हुआ था। प्राप्त आवेदनों की विभागीय परिपत्रानुसार अस्थाई वरियता सूची बनाई गई तो श्रीमती सिमरन छाबड़ा पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार प्रथम तथा श्रीमती अंजली पत्नी श्री मुकेश द्वितीय स्थान पर रही तथा श्रीमती रेखा रानी तृतीय स्थान पर रही। श्रीमान उपखंड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेशानुसार संबंधित महिला पर्यवेक्षक के माध्यम से अस्थाई वरियता सूची में प्रथम 03 आवेदकों का रिहायस व निवास संबंधी भौतिक सत्यापन करवाया गया तो श्रीमती सिमरन छाबड़ा अन्य वार्ड तथा श्रीमती अंजली तथा श्रीमती रेखा रानी वार्ड–28/39 की पाई गई, परंतु विभागीय नियमानुसार वरियता सूची में अंक अधिक होने के कारण सर्वसम्मति से श्रीमती अंजली पत्नी श्री मुकेश चलाना का चयन किया गया। श्रीमती अंजली पत्नी श्री मुकेश चलाना को अभी तक केवल चयन आदेश ही दिए गए हैं, आगामी प्रक्रिया को अपील विचाराधीन होने के कारण रोक दिया गया है। अतः रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

अपीलार्थीया ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीया अंजली आंगनबाड़ी केन्द्र 29–सी गणगौर नगर में अपना निवास स्थान दिखाकर आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड नंबर 29–सी में सहायिका के पद पर चयनित हो चुकी है तथा वार्ड नंबर 18–ई गुरूनानक चौक में निवास करने लगी। अप्रार्थी संख्या 03 गणगौर नगर में निवास

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

दिखाकर आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड न. 28–सी में सहायिका के पद पर चयनित हुई थी। अधिवक्ता अपीलार्थीया ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान सरकार के परिवार विवरण सर्वे पंजिका में अप्रार्थी संख्या 03 अंजली का परिवार वार्ड नंबर 26(18) गली नंबर–13बी में रहना बताया गया है। अप्रार्थीया संख्या 03 द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड नंबर 29–सी में अपना निवास स्थान गणगौर नगर दिखाकर सहायिका के पद पर चयन करवा गया था एवं अब अप्रार्थीया संख्या 03 द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र 28–ए में कार्यकर्ता की विज्ञप्ति जारी होने पर अपने पुराना निवास का हवाला देकर और विभाग में कार्यरत होने का फायदा उठाकर विधि विरूद्ध तरीके से अपना चयन करवाया है। अप्रार्थीया संख्या 03 ने तथ्यों को छिपाकर अपना चयन करवाया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश क्रमांक 581 दिनांक 10.09.2025 को निरस्त कर प्रार्थीया का चयन किये जाने का आदेश दिया जावें।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में जबाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आ.बा. कैन्द्र 28ए/39 पर कार्यकर्ता का रिक्त पद हेतु विज्ञप्ति संख्या–01/2025 जारी कर आवेदन लिए गए थे। आ.बा. केन्द्र 28ए पर कार्यकर्ता हेतु कुल 07 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदन पत्रों में श्रीमती रेखारानी(अपीलकर्ता) का भी आवेदन प्राप्त हुआ था। प्राप्त आवेदनों की विभागीय परिपत्रानुसार अस्थाई वरियता सूची बनाई गई तो श्रीमती सिमरन छाबड़ा पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार प्रथम तथा श्रीमती अंजली पत्नी श्री मुकेश द्वितीय स्थान पर रही तथा श्रीमती रेखा रानी तृतीय स्थान पर रही। श्रीमान उपखंड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेशानुसार संबंधित महिला पर्यवेक्षक के माध्यम से अस्थाई वरियता सूची में प्रथम 03 आवेदकों का रिहायस व निवास संबंधी भौतिक सत्यापन करवाया गया तो श्रीमती सिमरन छाबड़ा अन्य वार्ड तथा श्रीमती अंजली तथा श्रीमती रेखा रानी वार्ड–28/39 की पाई गई, परंतु विभागीय नियमानुसार वरियता सूची में अंक अधिक होने के कारण सर्वसम्मति से श्रीमती अंजली पत्नी श्री मुकेश चलाना का चयन किया गया। श्रीमती अंजली पत्नी श्री मुकेश चलाना को अभी तक केवल चयन आदेश ही दिए गए हैं, आगामी प्रकिया को अपील विचाराधीन होने के कारण रोक दिया गया है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तो पाया कि कार्यालय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर के पत्र दिनांक 04.07.2025 के द्वारा विज्ञप्ति संख्या 01/2025 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों हेतु जारी की गई। उक्त विज्ञप्ति के जारी होने के पश्चात् आंगनबाड़ी केन्द्र 28ए पर कार्यकर्ता हेतु आवेदन मांगे गए। अपीलार्थीया का मुख्य आरोप है कि अप्रार्थीया संख्या 03 अंजली पत्नी श्री मुकेश चालान द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड नंबर 29–सी में अपना निवास स्थान गणगौर नगर दिखाकर सहायिका के पद पर चयन करवाया गया एवं अब अप्रार्थीया संख्या 03 द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र 28–ए में कार्यकर्ता की विज्ञप्ति जारी होने पर अपने पुराना निवास का हवाला देकर विधि विरूद्ध तरीके से तथ्यों को छिपाकर अपना चयन करवाया है। अपीलार्थीया द्वारा आरोप लगाया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र 29–सी में अपना निवास स्थान गणगौर नगर दिखाकर सहायिका के पद पर चयन करवाया गया। समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान सरकार के परिवार विवरण सर्वे पंजिका में अप्रार्थी संख्या 03 अंजली का परिवार वार्ड नंबर 26(18) गली नंबर–13बी में रहना बताया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केन्द्र 18ई

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा अंजली के पिताजी का वार्ड नंबर 28(18) में रहना बताया गया, जबकि परिवार विवरण सर्वे पंजिका में अंजली के पिता का नाम कहीं अंकित नहीं है, जिससे साबित होता है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर शहर ने बिना किसी जांच एवं तथ्यों के सर्वे रिपोर्ट को न्यायालय में प्रस्तुत किया है। न्यायालय द्वारा अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि विभाग द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट एवं निवास सत्यापन रिपोर्ट में गंभीर विरोधाभास एवं अस्पष्टता विद्यमान है। परिवार विवरण सर्वे पंजिका में अप्रार्थीया संख्या–3 के निवास संबंधी विवरण स्पष्ट एवं सुसंगत रूप से स्थापित नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त, जिस आधार पर निवास सत्यापन रिपोर्ट तैयार की गई, उसके समर्थन में पर्याप्त एवं ठोस दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। यह सुस्थापित विधि का सिद्धांत है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष एवं नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। यदि निवास संबंधी पात्रता पर संदेह उत्पन्न होता है, तो ऐसा चयन न्यायिक समीक्षा में बनाए नहीं रखा जा सकता। फलस्वरूप, अपीलांटा की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्रमांक 581 दिनांक 10.09.2025, जिसके द्वारा अप्रार्थीया संख्या–3 श्रीमती अंजली पत्नी श्री मुकेश चलाना का आंगनबाड़ी केन्द्र 28–ए/39 पर कार्यकर्ता पद हेतु चयन किया गया, निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर शहर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आंगनबाड़ी केन्द्र 28–ए/39 हेतु प्राप्त आवेदनों का निवास संबंधी दस्तावेजों का पुनः निष्पक्ष एवं विधिसम्मत भौतिक सत्यापन करवाया जाकर, विभागीय नियमों के अनुसार नवीन चयन प्रक्रिया पूर्ण कर पुनः विधिसम्मत् आदेश पारित करें।

आदेश की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्री गंगानगर एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहर) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ★ ... नगर (राज.)